22.5.[illegible] पत्रावली पेश। तहसील प्रशासन [illegible] उप. / जमाब
हेतु नई [illegible] दिये जाने के सम्बन्ध
में आवेदक द्वारा पेश नहीं किया जाता है
[illegible] जमाबन्दी बन्द किया जाता है।
तहसील प्रशासन द्वारा मुताबिक [illegible]
[illegible] निर्धारित किये जाने का निवेदन
किया गया।
मैंने पत्रावली का अवलोकन
किया [illegible] पत्रावली में उपलब्ध [illegible]

द्वारा .... मुकदमा नं. .... ऑनलाईन ...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	का सूक्ष्मता से विश्लेषण किया उक्त प्रमाण का अवलोकन पत्रावली से पाया, नकल जमाबन्दी खाता सं. 201600479 दि 28.4.16, ... जवाब दावा आदि के आधार पर वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर हस्ता. प्रमा. किया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी सांगोद (कोटा)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय बइजलास श्री रामावतार मीणा (आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 193/2023

तारीख दायरा 28.02.2023

उनवान

1. श्रीलाल पुत्र छोटूलाल जाति गुर्जर
2. बलराम पुत्र छोटूलाल जाति गुर्जर
3. बाबूलाल पुत्र छोटूलाल जाति गुर्जर
4. बनवारीलाल पुत्र छोटूलाल जाति गुर्जर
5. नेमीचन्द पुत्र छोटूलाल जाति गुर्जर
6. गोपाली बाई पत्नि छोटूलाल जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम लबानिया तहसील सांगोद।
7. डालीबाई पुत्री छोटूलाल पत्नि बृजमोहन जाति गुर्जर निवासी ग्राम लबानिया हाल निवासी बराना तहसील खानपुर जिला झालावाड।

— वादीगण

बनाम

1. चन्द्रप्रकाश पुत्र जगदीश जाति गुर्जर,
2. देशराज पुत्र जगदीश जाति गुर्जर,
3. बिलाबाई पत्नि जगदीश जाति गुर्जर निवासीगण लबानिया तहसील सांगोद।
4. टोमी पुत्री जगदीश पत्नि दीपक जाति गुर्जर निवासी ग्राम लबानिया हाल निवासी मोखापाडा केथूनीपोल कोटा।
5. द्वारकाबाई पुत्री मांगीलाल पत्नि धन्नालाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम गोदाल्याहेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
6. चेनाबाई पुत्री मांगीलाल पत्नि देवकरण जाति गुर्जर निवासी ग्राम कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा।

— प्रतिवादीगण

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 209 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :–

श्री दशरथ सिंह (वकील वादीगण) दिनांक :– 22.5.24

श्री भगवान सिंह गोचर (वकील प्रतिवादीगण)

— निर्णय —

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संयुक्त परिवार के सदस्य हैं तथा वादीगण के ताउजी स्व. मांगीलाल पुत्र देवलाल जाति गुर्जर के एकल खाते की आराजी माल ग्राम हनुवतखेडा पटवार हलका लबानिया तहसील सांगोद में खाता सं. नई 43 के ख.न. 117 की 0.23 है., ख.न. 119 की 0.20 है., ख.न. 120 की 0.20 है., ख.न. 121 की 0.01 है., ख.न. 122 की 0.28 है. ख.न. 123 की 0.18 है., ख.न. 124 की 0.25 है., ख.न. 125 की 0.06 है. कुल 8 किता की 1.41 है. आराजी स्थित है। वादीगण के पिता स्व. छोटूलाल के बडे भाई स्व. मांगीलाल द्वारा वाद पत्र में वर्णित आराजी में से माल ग्राम हनुवतखेडा पटवार हलका लबानिया की खाता सं. 43 के ख.न. 117 की 0.23 है. आराजी में से 0.14 है. आराजी, ख.न. 122 की 0.28 है. आराजी में से 0.17 है. आराजी, ख.न. 123 की 0.18 है. आराजी में से 0.16 है. आराजी कुल 3 किता की 0.47 है. आराजी जरिये दान पत्र क्रमांक 2016000478 दिनांक 28.04.2016 से वादीगण के पिता छोटूलाल पुत्र देवलाल के नाम दान कर दी थी और उपपंजीयक कार्यालय सांगोद में जाकर दानपत्र का पंजीयन भी वादीगण के पिता स्व. छोटूलाल के हक में करवा दिया था। परन्तु उस समय आराजीयात रहन दर्ज होने से दान पत्र के आधार पर इन्तकाल नहीं खुल सका, इसी दौरान वादीगण के पिता छोटूलाल का दिनांक 04.11.2021 को निधन हो गया।

वादीगण दान पत्र के माध्यम से प्राप्त आराजी को मौके पर शांति पूर्वक काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण द्वारा उक्त आराजी का इन्तकाल खुलवाने हेतु पटवारी हलका महोदय से निवेदन किया गया तो सक्षम न्यायालय से

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

आदेश लाने के उपरान्त इन्तकाल खोलने को कहा गया। इस कारण वादीगण के लिए आवश्यक हो गया है कि वे माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर दानग्रहिता के विधिक वारिसान होने से उत्तराधिकार के आधार पर अपने हक में घोषणा करावे, जिसके लिए वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। यही इस वाद पत्र की विषय वस्तु है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के हक में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री सादिर पारित फरमाई जावे कि –

माल ग्राम हनुवतखेडा पटवार हलका लबानिया तहसील सांगोद में खाता सं. नई 43 के ख.न. 117 की 0.23 है. आराजी में से 0.14 है. आराजी, ख.न. 122 की 0.28 है. आराजी में से 0.17 है. आराजी, ख.न. 123 की 0.18 है. आराजी में से 0.16 है. आराजी कुल 3 किता की 0.47 है. आराजी जरिये दानपत्र सं. 2016000478 दिनांक 28.04.2016 से दानग्रहिता वादीगण के पिता स्व. छोटूलाल पुत्र देवलाल जाति गुर्जर का स्वर्गवास हो जाने के कारण तथा वादीगण ही दानग्रहिता स्व. छोटूलाल के विधिक वारिसान होने से वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जावे। उक्त घोषणा के क्रम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे, इस आशय की घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती की डिक्री पारित फरमाई जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 1 ता 6 की ओर से अधिवक्ता श्री भगवान सिंह गोचर द्वारा वकालतनामा मय इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में तहसीलदार सांगोद का जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र के समर्थन में माल ग्राम हनुवतखेडा पटवार हलका लबानिया तहसील सांगोद में खाता सं. नई 43 की नकल जमाबंदी, दान पत्र सं. 2016000479 दिनांक 28.04.2016 एवं अन्य दस्तावेजात आदि प्रस्तुत कर वाद वादी स्वीकार करने हेतु बहस की गई।

मेरे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का सूक्ष्मता से विश्लेषण किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी फॉमर्ल पक्षकार है। प्रकरण में इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकीयात कायम करने की आवश्यकता नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड, नकल जमाबन्दी, दान पत्र सं. 2016000479

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

दिनांक 28.04.2016, इकबाली जवाब दावा आदि के आधार पर वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिये जाते हैं कि –

माल ग्राम हनुवतखेडा पटवार हलका लबानिया तहसील सांगोद में खाता सं. नई 43 के ख.न. 117 की 0.23 है. आराजी में से 0.14 है. आराजी, ख.न. 122 की 0.28 है. आराजी में से 0.17 है. आराजी, ख.न. 123 की 0.18 है. आराजी में से 0.16 है. आराजी कुल 3 किता की 0.47 है. आराजी में प्रत्येक वादीगण को 1/7–1/7 हिस्से का वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार खातेदार पर यथावत रहेगा। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया जावे। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करे।

निर्णय आज दिनांक २२-५-२५ को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रामावतार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

फर्द प्राथमिक डिकी मुकदमात इब्तदाई

आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास श्री रामावतार मीणा (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 193 / 2023 तारीख दायरा 28.02.2023

उनवान

1. श्रीलाल पुत्र छोटूलाल जाति गुर्जर
2. बलराम पुत्र छोटूलाल जाति गुर्जर
3. बाबूलाल पुत्र छोटूलाल जाति गुर्जर
4. बनवारीलाल पुत्र छोटूलाल जाति गुर्जर
5. नेमीचन्द पुत्र छोटूलाल जाति गुर्जर
6. गोपाली ब़ाई पत्नि छोटूलाल जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम लबानिया तहसील सांगोद।
7. डालीबाई पुत्री छोटूलाल पत्नि बृजमोहन जाति गुर्जर निवासी ग्राम लबानिया हाल निवासी ब़राना तहसील खानपुर जिला झालावाड। — वादीगण

बनाम

1. चन्द्रप्रकाश पुत्र जगदीश जाति गुर्जर,
2. देशराज पुत्र जगदीश जाति गुर्जर,
3. बिलाबाई पत्नि जगदीश जाति गुर्जर निवासीगण लबानिया तहसील सांगोद।
4. टोमी पुत्री जगदीश पत्नि दीपक जाति गुर्जर निवासी ग्राम लबानिया हाल निवासी मोखापाडा केथूनीपोल कोटा।
5. द्वारकाबाई पुत्री मांगीलाल पत्नि धन्नालाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम गोदाल्याहेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
6. चेनाबाई पुत्री मांगीलाल पत्नि देवकरण जाति गुर्जर निवासी ग्राम कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा। — प्रतिवादीगण

3. बिलाबाई पत्नि जगदीश जाति गुर्जर निवासीगण लबानिया तहसील सांगोद।

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 209 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :—

श्री दशरथ सिंह (वकील वादीगण) दिनांक :— 22.5.24

श्री भगवान सिंह गोचर (वकील प्रतिवादीगण)

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कताई रूबरू मुझ श्री रामावतार मीणा (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री दशरथ सिंह वादीगण मिन जानिब मुदई रूबरू श्री भगवान सिंह गोचर प्रतिवादीगण मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि —

माल ग्राम हनुवतखेडा पटवार हलका लबानिया तहसील सांगोद में खाता सं. नई 43 के ख.न. 117 की 0.23 है. आराजी में से 0.14 है. आराजी, ख.न. 122 की 0.28 है. आराजी में से 0.17 है. आराजी, ख.न. 123 की 0.18 है. आराजी में से 0.16 है. आराजी कुल 3 किता की 0.47 है. आराजी में प्रत्येक वादीगण को 1/7—1/7 हिस्से का वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार खातेदार पर यथावत रहेगा।

तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.5.24.......... को जारी की गई।

मोहर ....

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

मुदई		रूपया	पै.	मुदायलाह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	....	------NIL------		स्टाम्प वकालतनामा	....	------NIL------	
स्टाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प अर्जी	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....			महनताना वकील	....		
महनताना वकील	....			खर्चा गवाहान	....		
खर्चा गवाहान	....			फीस कमिश्नर	....		
फीस कमिश्नर	....			बाबत इजराय हुकमनामा	....		
बाबत इजराय हुकमनामा	....			मुतफर्रिक	....		
मुतफर्रिक	....			मीजान			
मीजान	....						

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

उप खण्ड मजि.
रामावतार मीणा (आर०ए०एस०)
सांगोद (कोटा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

बउनवान .... बनाम ....

धारा .... मुकदमा नं. .... ऑनलाईन नं. ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील मे जारी हुए
29.5.24	पत्रावली पेश। वकील वादी अनुपस्थित है, समय 4.15 PM हो रहा है, आवाज लगवाई गई, इन्तजार किया, पुन: आवाज लगवाई गई। बार-बार आवाज लगाने पर भी न तो वादी स्वयं न ही इनके अधिवक्ता उप. है अत: वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है, पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड मजिस्ट्रेट सांगोद (कोटा)	